न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 16/2015

बउनवान

हेमराज आयु 52 वर्ष पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति–नाई निवासी–आमापुरा तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

न्यायालय जिला कलक्टर

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओम भारद्वाज, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 01.11.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 09.07.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–आमापुरा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 590 रकबा 07.55 हे0 में से 0.30 हे0 किस्म चारागाह पर पत्थर डालकर अनाधिकृत कब्जा करना बताकर पत्थर जप्ती, बे[illegible] 180/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से [illegible]डित किया [illegible] है।

अपील[illegible] न्यायालय ने रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से [illegible] की मंशा को समझने का प्रयास किये बिना पूर्व धारण बनाक[illegible] आदेश पारित किया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों [illegible] निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आ[illegible] डालकर अनाधिकृत कब्जा करना बताया है किन्तु इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की स्वतंत्र साक्ष्य नहीं ली गयी है। द्वितीय अतिक्रमी बाबत किसी प्रकार का रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं बताया कि पूर्व में [illegible] दिनांक को बेदखल किया गया है। अपीलांट को अनुपस्थित बताक[illegible] है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। इसी प्रकरण के [illegible] शिका दिनांक 1.7.15 को नोटिस जारी करने के विरूद्ध मान[illegible] अजमेर में निगरानी क्रमांक 4030/15 हेमराज बनाम सरकार प्रस्तुत की हुई है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुपस्थित बताकर एकतरफा आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.07.2015 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

एवं अधीनस्थ न्यायालय से विवादित आराजी की वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी नहीं किया है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं था। खातेदारी की भूमि पर उसका प्लाट है जिसपर हीं अपीलांट काबिज है। अपीलांट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर रखा है। अपीलांट ने उक्त क्रयशुदा प्लाट की नींव हेतु पत्थर डलवाये गये थे जिसपर अधीनस्थ न्यायालय ने सरकारी भूमि पर कब्जा मानकर नोटिस जारी कर दिये। जिसपर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के विरूद्ध माननीय मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गयी थी। जिसमें माननीय मण्डल द्वारा निर्णय भी नहीं दिया। इससे पूर्व हीं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना हीं अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर, उक्त आदेश पारित किया है जो पूर्णतया विधि विरूद्ध व एकतरफा होने से निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना चाहिये था तथा पश्चात्वर्ती सिद्ध करने से पूर्व स्वतंत्र गवाहान के बयान, पूर्व निर्णय व बेदखलीनामा व हल्का पटवारी के बयान आदि को लेखबद्ध एवं शामिल फाईल कर उक्त आदेश पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। चूंकि न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी है, जिसमें वर्तमान में अपीलांट का कोई कब्जा नहीं होना बताया गया है तथा अपीलांट भी न्यायालय का आश्वस्त करता [illegible] उसका कोई कब्जा नहीं है तथा भविष्य में भी उक्त आराजी पर अ[illegible] अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय [illegible] दिनांक 09.07.2015 निरस्त फरमाया जावे।

इसके [illegible] ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि [illegible] ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान [illegible] पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 185/07 से भी बेदखल किया गया है। अपीलांट का कथन है कि उसने म[illegible] की है, जो भी खारिज हुई है। अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने [illegible] व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उप[illegible] अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विवादित आराजी ख0नं0 590 रकबा 0.30 है0 ग्राम आमापुरा तहसील बारां पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली, जप्ती, नीलामी व सजायाब करने के दिनांक [illegible].07.2015 को आदेश पारित किये है जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलांट का कथन है कि उक्त प्रश्नगत आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा [illegible] तथा पेरोकार सरकार का मुख्य तर्क है कि वह पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि [illegible] ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा–91 के तहत जारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज०)